

अधिकारी

मुकाम ..... व .....  
नाम अधिकारी श्री राम वर्मा R.A.S.  
पता गीतादेवी ..... बनाम मालाराम झाड़

दावा बाबत .....  
52/14 सन् .....

जिसमें आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु .....  
मिनजानिब मुद्ई व .....  
मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि .....

वादी का वाड इस प्रकार जार्जिनिक डिक्री किया जाता है कि खेत 190 स.  
34 नाडाडी 57 बीघा 15 बिश्वा खेत ख.ख 835 नाडाडी 13 बीघा 05 बिश्वा  
उस फिता 02 ख नाडाडी 77 बीघा वाले रोहि ग्राम रामदेवरा तहसील बीडार  
खे 80 में स्थित है। उपरोक्त खेत 77 बीघा में उत्तम का 1/2 हिस्सा  
मनि 38 बीघा 10 बिश्वा का सशुक्त जोतेडारी में नाम दर्ज था।  
वादी के हिस्से में उपरोक्त 1/2 में मनि 38 बीघा 10 बिश्वा में 1/6  
हिस्सा बनता है। वादी के 1/6 हिस्सा ग्राम को राजस्व रि कार्ड में सशुक्त  
र खाता विज्ञापक का वादी का एक हिस्सा अलग बनाया जाये किता जावे।  
या कला वाता कापात दिया जावे। परिवादीजता को अधिक चिरानिषे चाना  
वर्जित किया जाता है कि वो वादी के अधिकारों के विपरीत कोई कृत्य नहीं  
करे। मुकदमा खर्चा परसकातक अपना - अपना बहन करेगे। विज्ञापक प्रस्ताव  
दिल्ली से 7 बीडार तहसील बीडार के नाम कोडित जानी हो तथा विज्ञापक  
काप भगावाये जाते हें कलासे लिखा जावे।

मुबलिंग ..... बाबत .....

स मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख  
की तक ..... को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... 16 ..... माह 08 ..... 20 19



दस्तखत .....  
ओहदा ..... अधिकारी  
गीतासर

रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
		स्टाम्प बकालतनामा		
		स्टाम्प अर्जी		

दावा  
लतनामा  
ह सबत